

I/3107319/2024

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA No.27/2024
GST Circular No. 07/2024

No. 2017/AC-II/1/6/GST Main/Vol. IV

New Delhi, dated 15.10.2024

General Managers,
All Zonal Railway/Production Units

Sub: Clarification on the use of the phrase "as is / as is, where is basis" in the context of Indian Railways

Ref: Ministry of Finance, Department of Revenue Circular No. 236/30/2024-GST dated 11th October 2024.

Ministry of Finance (Department of Revenue), vide circular No. 236/30/2024-GST dated 11th October 2024 has issued clarification regarding the use of the phrase "as is / as is, where is basis" in their circulars as it pertains to the Goods and Services Tax (GST) matters. The following are the guidelines issued by them:

The phrase "as is / as is, where is basis" refers to accepting the GST rates applied in the past as they were, regardless of whether they were lower or higher than the rates that might have been applicable. This means that the GST payments made at such rates are considered as the full and final discharge of the tax liability for the period before the regularization, without any further obligations to pay additional tax or entitlement to a refund.

The phrase "as is, where is" is commonly understood in the realm of property transfer, signifying that the property is being transferred in its existing state, inclusive of any faults or defects, which the transferee has agreed to accept. In the context of GST, the phrase "regularized on as is where is basis" implies that any payment made at a lower rate or any exemption claimed by the taxpayer is recognized as valid, and no refund will be provided if tax has been paid at a higher rate. The intent is to acknowledge the payment at a lower rate, including a nil rate due to the tax position taken by the taxpayer, as a complete discharge of the tax liability.

For Indian Railways, this clarification has the following implications:

In cases where there has been a differential GST rate applied by different Zonal Railways for similar supplies or services due to genuine doubts or diverse interpretations, the regularization of such transactions on an "as is, where is" would mean that the GST paid at the lower rate or not paid, considering it as exempt, will be treated as the correct tax liability discharged for the period prior to the regularization subject to the illustrations below. There will be no requirement to pay any differential duty, nor will there be any refunds for those who have paid at the higher rate.

Illustrations to support the above clarification are as follows:

S. No.	Scenarios	Recommendation of GST Council	Interpretation as clarified vide the present Circular
1	Rate on which GST is discharged by suppliers- <ul style="list-style-type: none"> 5%; or 12% 	The rate stands reduced to 5% and regularizing the past matters on "as is / as is, where is basis"	For the period prior to the regularization - <ul style="list-style-type: none"> a. 5% GST paid will be treated as tax fully paid, b. No additional payment is required. Taxpayers who have paid 12% GST will not be entitled to a refund

I/3107319/2024

2	GST not paid by supplier due to the belief that there was an exemption	The applicable rate is 5% and past matters are regularised on "as is / as is, where is basis"	For the period prior to the regularization- c. Non-payment of GST will be treated as full discharge of tax liability d. No additional payment is required e. Taxpayers who have paid 5% GST will not be entitled to a refund.
3	Where there is an interpretational issue between GST rate applicable at the rate of 5% and 12%- <ul style="list-style-type: none"> Some taxpayers have paid GST at the rate of 5% Others have paid GST at the rate of 12% Remaining have not discharged GST 	Applicable rate is 12% and regularize the past on "as is where is basis" which is notified on 1.12.2023	a. For the period prior to 1.12.2023, the 5% GST paid by taxpayer will be treated as tax fully paid and they would not be required to pay any additional duty b. For those taxpayers who have paid GST at the rate of 12%, no refund would be made. c. However, the regularization would not apply to situations where no tax has been paid and in such case, the applicable tax of GST i.e. 12% shall be recovered.

All Zonal railways and Production units are advised to review their past GST transactions where the applicable CBIC circulars use the phrase "as is where is" in light of this clarification in consultation with their local GST consultants and ensure that any GST payments made are consistent with the "as is / as is, where is basis" principle. In case of any specific issues in implementing the above instructions, the same may be brought to the notice of Railway Board.

Signed by

Vipul Tripathi

Date: 15-10-2024 14:41:54

(Vipul Tripathi)

Director/Accounts

Railway Board

Email ID: vipul.tripathi@gov.in

Ph No: 8920027770

Copy to:

1. PFAs All Zonal Railways/Production Units
2. All EDs, ED level empowered Committee in Railway Board
3. All Directors of GST Cell, Railway Board
4. MD, CRIS, Chanakyapuri New Delhi
5. Director/Finance, Director/PS, Director/Operations, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi
6. GM/Finance and GSTM, GM/FOIS, GM/PRS, GM/EPS, GM/UTS, GM/Parcel, CRIS, NDLS

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. 2017/एसी-11/1/6/जीएसटी मेन/वॉल.IV

आरबीए सं. 27/2024
जीएसटी परिपत्र सं. 07/2024
नई दिल्ली, दिनांक 15.10.2024

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.

विषय: भारतीय रेल के संदर्भ में "जैसा है/जहाँ है" वाक्यांश के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ: वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग का दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 का परिपत्र सं. 236/30/2024-जीएसटी।

वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) ने अपने दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 के परिपत्र सं. 236/30/2024-जीएसटी के तहत अपने परिपत्रों में "जैसा है/जहाँ है" वाक्यांश के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है क्योंकि यह माल और सेवा कर (जीएसटी) मामलों से संबंधित है। उनके द्वारा जारी दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:

वाक्यांश "जैसा है/जहाँ है" का तात्पर्य विगत में लागू जीएसटी दरों को वैसे ही स्वीकार करना है, जैसी वो थीं, भले ही वे लागू दरों से कम या अधिक हों। इसका अभिप्राय है कि ऐसी दरों पर किए गए जीएसटी भुगतान को नियमितीकरण से पहले की अवधि के लिए कर देयता का पूर्ण और अंतिम निर्वहन माना जाता है, बिना किसी अतिरिक्त कर का भुगतान करने या रिफंड के लिए पात्रता के।

वाक्यांश "जैसा है, जहाँ है" सामान्यतः संपत्ति हस्तांतरण के क्षेत्र में उपयोग होता है, जो यह दर्शाता है कि संपत्ति को दोष और कमियाँ सहित उसकी मौजूदा स्थिति में हस्तांतरित किया जा रहा है, जिसे हस्तांतरिती स्वीकार करने के लिए सहमत है। जीएसटी के संदर्भ में वाक्यांश "जैसा है, जहाँ है" का अर्थ है कि न्यूनतम दर पर किया गया कोई भी भुगतान या करदाता द्वारा दावा की गई कोई भी छूट वैध मानी जाएगी, और यदि कर का भुगतान उच्च दर पर किया गया है तो कोई रिफंड प्रदान नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य करदाता द्वारा ग्रहण की गई कर स्थिति के कारण शून्य दर सहित न्यूनतम दर पर किए गए भुगतान को स्वीकारना है, जो कर देयता के पूर्ण निर्वहन के रूप में है।

भारतीय रेल के लिए, इस स्पष्टीकरण के निम्नलिखित निहितार्थ हैं:

उन मामलों में जहाँ, वास्तविक संदेह या विविध व्याख्याओं के कारण समान आपूर्तियों या सेवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलों द्वारा अलग-अलग जीएसटी दरें लागू की गई हैं, वहाँ ऐसे लेन-देन को "जैसा है, जहाँ है" के आधार पर नियमित करने का आशय यह होगा कि कम दर पर भुगतान किया गया जीएसटी या भुगतान नहीं किया गया जीएसटी, को छूट के रूप में मानते हुए, नीचे दिए गए उदाहरणों के अध्यधीन नियमितीकरण से पहले की

अवधि के लिए निर्वहन की गई सही कर देयता के रूप में माना जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के अंतर शुल्क का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और न ही उच्च दर पर भुगतान करने वालों के लिए कोई रिफंड होगा।

उपर्युक्त स्पष्टीकरण का समर्थन करने वाले उदाहरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	परिदृश्य	जीएसटी परिषद की सिफारिश	मौजूदा परिपत्र के तहत यथा स्पष्टीकृत व्याख्या
1.	वह दर, जिस पर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जीएसटी की अदायगी की गई है- • 5%; या • 12%	दर घटाकर 5% कर दी गई है तथा पिछले मामलों को "जैसा है/जहाँ है" के आधार पर नियमित किया जा रहा है।	नियमितीकरण से पूर्व की अवधि के लिए - क. 5% जीएसटी का भुगतान पूर्ण कर का भुगतान के रूप में माना जाएगा, ख. कोई अतिरिक्त भुगतान अपेक्षित नहीं है। जिन करदाताओं ने 12% जीएसटी का भुगतान किया है, वे रिफंड के लिए पात्र नहीं होंगे।
2.	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जीएसटी का भुगतान इस धारणा के कारण नहीं किया गया कि इसमें छूट थी।	लागू दर 5% है और पिछले मामलों को "जैसा है/जहाँ है" के आधार पर नियमित किया जाता है।	नियमितीकरण से पूर्व की अवधि के लिए - क. जीएसटी की गैर-अदायगी को कर देयता का पूर्ण निर्वहन माना जाएगा। ख. कोई अतिरिक्त भुगतान अपेक्षित नहीं है। ग. जिन करदाताओं ने 5% जीएसटी का भुगतान किया है, वे रिफंड के लिए पात्र नहीं होंगे।
3.	जहाँ 5% और 12% की दर से लागू जीएसटी दर के बीच व्याख्या संबंधी मुद्दा है- • कुछ करदाताओं ने 5% की दर से जीएसटी का भुगतान किया है। • अन्य ने 12% की दर से जीएसटी/जीएसटी का भुगतान किया	लागू दर 12% है और पिछले मामलों को जिन्हें 01.12.2023 को अधिसूचित किया गया है, "जैसा है/जहाँ है" के आधार पर नियमित किया जाता है।	क. 01.12.2023 से पहले की अवधि के लिए, करदाता द्वारा भुगतान किए गए 5% जीएसटी को पूरी तरह से भुगतान किए गए कर के रूप में माना जाएगा और उन्हें किसी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। ख. जिन करदाताओं ने 12% की दर से जीएसटी का भुगतान किया है, उन्हें कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। ग. हालांकि, नियमितीकरण उन स्थितियों में लागू नहीं होगा, जहाँ किसी कर का भुगतान नहीं किया

है। • शेष ने जीएसटी का भुगतान नहीं किया है।		गया है और ऐसे मामले में, जीएसटी का लागू कर अर्थात् 12% वसूल किया जाएगा।
--	--	---

सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पिछले जीएसटी लेन-देनों की समीक्षा करें जहां लागू सीबीआईसी परिपत्रों में उनके स्थानीय जीएसटी सलाहकारों के परामर्श से इस स्पष्टीकरण के आलोक में "जैसा है/जहाँ है" वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि किया गया कोई भी जीएसटी भुगतान "जैसा है/जहाँ है" सिद्धांत के अनुरूप है। उपर्युक्त अनुदेशों को लागू करने में किसी भी विशिष्ट मुद्दों से संबंधित मामले को रेलवे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।



(विपुल त्रिपाठी)

निदेशक/लेखा

रेलवे बोर्ड

ईमेल आईडी: vipul.tripathi@gov.in

दूरभाष नं. 8920027770

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
2. रेलवे बोर्ड में कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति के सभी कार्यपालक निदेशक।
3. जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड के सभी निदेशक।
4. प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. निदेशक/वित्त, निदेशक/पीएस, निदेशक/परिचालन, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
6. महाप्रबंधक/वित्त एवं जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एफओआईएस, महाप्रबंधक/पीआरएस, महाप्रबंधक/ईपीएस, महाप्रबंधक/यूटीएस, महाप्रबंधक/पार्सल, क्रिस, नई दिल्ली।